

प्रेषक,

अधिकाशासी अभियन्ता

मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-12,

अलीगढ़

प्रेषित,

सूचना निदेशक,

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक: /म0ग0न0नि0ख0-12/ (निविदा) दिनांक: अलीगढ़,

-2018

विशय: अति अल्पकालीन निविदा के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस कार्यालय की अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-11/अ0अ0/2018-19 की 06 प्रतियां एवं सी0डी0 संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इनके विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु इस अल्पकालीन निविदा सूचना को उत्तर प्रदेश के प्रचलित दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में अविलम्ब प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।

क्रम	समाचार पत्र	जनपद
1	अमर उजाला	अलीगढ़
2	दैनिक जागरण	अलीगढ़

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

विज्ञप्ति पत्र 06 प्रतियों में।

सी0डी0 01नग

भवदीय,

(विनोद कुमार गुप्ता)

अधिकाशासी अभियन्ता

मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-12, अलीगढ़

(मो0नं0-9415268975)

पत्रांक: /म0ग0न0नि0ख0-12/ तदिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सी0डी0 सहित वेबसाइट पर डालने हेतु।
2. मुख्य अभियन्ता, मध्य गंगा नहर परियोजना, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, अलीगढ़।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मध्यगंगा नहर निर्माण मण्डल, मुरादाबाद/सिंचाई कार्य मण्डल/नलकूप मण्डल, अलीगढ़।
4. जिलाधिकारी, अलीगढ़
5. जिला सूचना अधिकारी, अलीगढ़।
6. अधिकाशासी अभियन्ता, अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर/नरौरा खण्ड निचली गंगा नहर/अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड/नलकूप खण्ड-प्रथम/नलकूप खण्ड-द्वितीय, अलीगढ़ तथा मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-16, चन्दौसी।
7. समस्त सहायक अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-12, अलीगढ़।
8. नोटिस बोर्ड हेतु।

(विनोद कुमार गुप्ता)

अधिकाशासी अभियन्ता

मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-12, अलीगढ़

(मो0नं0-9415268975)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-12
अलीगढ़

अति-अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या:-11/अ0अ0/2018-19

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु प्री-क्वालिफिकेशन/टेक्नीकल बिड, एवं फाइनैशियल बिड (<http://www.idup.upgovt.in>) के माध्यम से सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 19.12.2018 की अपराह्न 02:00 बजे तक अति अल्पकालीन निविदा आमन्त्रित की जाती हैं। यह निविदा उसी दिन दिनांक 19.12.2018 को अपराह्न 3:00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने या अवकाश होने की स्थिति में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेगी। यह निविदा दिनांक 14.12.2018 मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 18.12.2018 की सांय 5:00 बजे तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-12, अलीगढ़ से प्राप्त की जा सकती हैं।

धरोहर धनराशि N.S.C./F.D.R.राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा नियमानुसार अन्य प्रतिभूति के रूप में, जो अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-12, अलीगढ़ के पक्ष में बन्धक होगी, जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये, निरस्त करने का पूर्णाधिकार अधोहस्ताक्षरी/नामित टेण्डर समिति को होगा।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख ₹० में)	धरोहर राशि (लाख ₹० में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹० में)	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	बनियाखेडा राजवाहा के किमी० 8.900 पर वी०आर०वी० का निर्माण कार्य	8.50	0.18	03 माह	300+18% नियमानुसार ₹० 500 स्टेशनरी चार्ज	“सी” एवं उच्चतर
2.	बनियाखेडा राजवाहा के किमी० 9.800 पर वी०आर०वी० का निर्माण कार्य	8.50	0.18	03 माह	300+18% नियमानुसार ₹० 500 स्टेशनरी चार्ज	“सी” एवं उच्चतर
3.	बनियाखेडा राजवाहा के किमी० 10.450 पर वी०आर०वी० का निर्माण कार्य	8.10	0.17	03 माह	300+18% नियमानुसार ₹० 500 स्टेशनरी चार्ज	“सी” एवं उच्चतर
4.	बनियाखेडा राजवाहा के किमी० 10.700 पर वी०आर०वी० का निर्माण कार्य	8.10	0.17	03 माह	300+18% नियमानुसार ₹० 500 स्टेशनरी चार्ज	“सी” एवं उच्चतर
5.	बनियाखेडा राजवाहा के किमी० 11.350 पर वी०आर०वी० का निर्माण कार्य	7.50	0.15	03 माह	300+18% नियमानुसार ₹० 500 स्टेशनरी चार्ज	“सी” एवं उच्चतर
6.	बनियाखेडा राजवाहा के किमी० 12.050 पर वी०आर०वी० का निर्माण कार्य	7.50	0.15	03 माह	300+18% नियमानुसार ₹० 500 स्टेशनरी चार्ज	“सी” एवं उच्चतर
7.	बनियाखेडा राजवाहा के किमी० 12.400 पर वी०आर०वी० का निर्माण कार्य	7.50	0.15	03 माह	300+18: नियमानुसार ₹० 500 स्टेशनरी चार्ज	“सी” एवं उच्चतर
8.	बनियाखेडा राजवाहा के किमी० 13.450 पर वी०आर०वी० का निर्माण कार्य	7.50	0.15	03 माह	300+18: नियमानुसार ₹० 500 स्टेशनरी चार्ज	“सी” एवं उच्चतर
9.	धर्मपुर राजवाहा के किमी० 7.250 पर वी०आर०वी० का निर्माण कार्य	8.50	0.18	03 माह	300+18% नियमानुसार ₹० 500 स्टेशनरी चार्ज	“सी” एवं उच्चतर
10.	धर्मपुर राजवाहा के किमी० 11.460 पर वी०आर०वी० का निर्माण कार्य	8.50	0.18	03 माह	300+18% नियमानुसार ₹० 500 स्टेशनरी चार्ज	“सी” एवं उच्चतर

(क्रमशः अगले पृष्ठ पर.....)

(02)

11.	धर्मपुर राजवाहा के किमी0 12.300 पर वी0आर0वी0 का निर्माण कार्य	8.10	0.17	03 माह	300+18% नियमानुसार, रू0 500 स्टेशनरी चार्ज	“सी” एवं उच्चतर
12.	धर्मपुर राजवाहा के किमी0 15.510 पर वी0आर0वी0 का निर्माण कार्य	8.10	0.17	03 माह	300+18% नियमानुसार, रू0 500 स्टेशनरी चार्ज	“सी” एवं उच्चतर
13.	धर्मपुर राजवाहा के किमी0 16.450 पर वी0आर0वी0 का निर्माण कार्य	7.50	0.15	03 माह	300+18% नियमानुसार, रू0 500 स्टेशनरी चार्ज	“सी” एवं उच्चतर
14.	इज्जतपुर राजवाहा के किमी0 14.028 पर वी0आर0बी0 के चौडीकरण का कार्य	4.00	0.10	03 माह	225+18%नियमानुसार, रू0 300 स्टेशनरी चार्ज	“सी” एवं उच्चतर

(विनोद कुमार गुप्ता)

अधिशारी अभियन्ता

मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-12, अलीगढ़

(मो0नं0-9415268975)

निविदा सूचना संख्या:-11/अ0अ0/2018-19 की नियम व शर्तें

1- निविदा के साथ निम्न प्रपत्र/अभिलेखों को संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा :-

सिंचाई विभाग में निर्धारित श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2), स्वघोषणा शपथ पत्र (IDT-3) तथा श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र, विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित विगत तीन वर्षों की बैलेन्स शीट, कार्य के लिए आवश्यक संयन्त्र/मशीनरी का विवरण, तकनीकी कर्मचारी सम्बंधित प्रमाण-पत्र, निविदा मूल्य (जी0एस0टी0सहित) का ड्राफ्ट, धरोहर धनराशि, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

2- एक निविदादाता एक कार्य की एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा।

3- निविदा/बिड की विस्तृत शर्तें निविदा/बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।

4- अनुबन्ध के समय शेष 8% धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-12, अलीगढ़ के पक्ष में बन्धक होनी चाहिए एवं अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी तथा जमानत की शेष धनराशि भी जमा करनी होगी।

5- प्रत्येक निविदादाता को रू0 100/- नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। 90 दिन से पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6- कार्य के भुगतान के समय नियमानुसार देय जी0एस0टी0, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी एवं समय-समय पर लागू अन्य प्रचलित कर/उपकर देना होगा।

7- निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या 622/23.12.2012-2 आडिट/08टीसी-2, दिनांक 08.06.2012 के अनुसार "10 प्रतिशत तक न्यूनतम दरें (Below Rates) डाले जाने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम दरों (Below Rates) पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर पर्फॉरमेंस गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा।" निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

8- ठेकेदार/फर्म का श्रम विभाग में पंजीकरण अनिवार्य हैं। कार्य सम्पादित करने के दौरान कार्य करने वाले श्रमिकों की सूची पूर्ण विवरण सहित अद्यतन रखना होगा।

9- कार्य स्थल की आवश्यकता अनुसार कार्य की मात्रा घटायी एवं बढ़ायी जा सकती है। जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लैम मान्य नहीं होगा।

10- ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय सर्तकता आयोग के पत्रांक 12-02-01-सी0टी0ई0-6 दिनांक 17.12.2002 के अनुसार विगत 7 वर्षों में समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव निम्न लागत का होना चाहिए:-

(क) समान प्रकृति के पूर्ण किये गये तीन कार्यों की लागत अनुमानित लागत की 40% से कम नहीं होनी चाहिए।

अथवा

(ख) समान प्रकृति के पूर्ण किये गये दो कार्यों की लागत अनुमानित लागत की 50% से कम नहीं होनी चाहिए।

अथवा

(ग) समान प्रकृति के पूर्ण किये गये एक कार्य की लागत अनुमानित लागत की 80% से कम नहीं होनी चाहिए।

(क्रमशः अगले पृष्ठ पर.....)

- 11- ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय सर्तकता आयोग के पत्रांक 12-02-01-सी0टी0ई0-6 दिनांक 17.12.2002 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी एक वित्तीय वर्ष (विगत 31 मार्च) का वार्षिक टर्नओवर निविदा के कार्य की अनुमानित लागत का न्यूनतम 30 प्रतिशत या उससे अधिक का होना चाहिए। इस हेतु ठेकेदार को अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेस शीट की सत्यापित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
- 12- अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।
- 13- सीमेंट एवं सरिया विभाग द्वारा स्टॉक इश्यू रेट के अनुसार देय होगा।
- 14- निविदादाता/बिडर को उपरोक्तानुसार निविदा/बिड के विभिन्न चरणों की तिथियों तथा समयावधि/स्थलकी पूर्ण जानकारी स्वयं प्राप्त करनी होगी कोई भी जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।
- 15- इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
- 16- यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
- 17- चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, पार्टनरशिप डीड, पंजीकरण प्रमाण-पत्र व स्वघोषणा प्रमाण-पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल "संविदा काली सूची" में दर्ज कर दिया जायेगा।
- 18- कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- 19- राज्य बार कौन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
- 20- यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।
- 21- निविदादाता की ज्वार्ट वैनचर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी।

(विनोद कुमार गुप्ता)

अधिशाली अभियन्ता

मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-12, अलीगढ़

(मो0नं0-9415268975)